बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01 / विकास–यो0–229 / 2024– 566 स्वी0/cc पटना, दिनांक– 08 मार्च, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल स्वीकृत एवं आवंटित 2660.00 लाख रू0 में से "** *गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान* **" मद के तहत सामान्य श्रेणी में स्वीकृत एवं आवंटित 1080.66 (दस करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार) लाख रू0 का अग्रिम निकासी के स्वीकृति के संबंध में।**

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–102 स्वी0 / सी.सी. दिनांक–01.07.2024 तथा संशोधित आदेश ज्ञापांक–522 स्वी0 / सी.सी. दिनांक–24.02.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अंतर्गत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के लिए कुल 2660.00 लाख रू0 (छब्बीस करोड साठ लाख रू0) मात्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान मद अंतर्गत लाभुक गन्ना कृषकों को अनुदान भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गयी घोषणा के आलोक में पेराई सत्र 2024–25 अंतर्गत राज्य के गन्ना कृषकों को 10 रू0 / क्विंटल की दर से ईख मूल्य भुगतान हेतु CFMS 2.0 में पेयी आईडी बनाकर भुगतान में हो रही कठिनाई के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2168 दिनांक–27.02.2025 प्राप्त है।

3. उक्त के दृष्टिगत इस योजनांतर्गत गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान मद अंतर्गत लाभुक गन्ना कृषकों को अनुदान भुगतान हेतु सामान्य श्रेणी के लिए स्वीकृत एवं आवंटित राशि **1080.66 (दस करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार) लाख रू0** को वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त अग्रिम राशि 1080.66 (दस करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार) लाख रू0 की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00–लघु शीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401001080109, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

उक्त अग्रिम राशि की निकासी हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	सहायक निदेशक, ईख विकास / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संबद्ध चीनी मिल का नाम	सामान्य श्रेणी अंतर्गत स्वीकृत / आवंटित अग्रिम निकासी की जाने वाली राशि (लाख रू0)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	तिरूपति सुगर मिल्स लि0, बगहा, प0 चम्पारण	156.87000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2		हरिनगर सुगर मिल्स लि0, हरिनगर, प0 चम्पारण	296.31000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3		एच0 पी0 सी0 एल0 बायॉफ्यूल्स लि0, लौरिया।	10.45800	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण

MGVY 24-25 seed advance order

4	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	जयश्री सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 चम्पारण	158.61300	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
5		न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, प0 चम्पारण	10.45800	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	20.91600	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	भारत सुगर मिल, सिधवलिया	95.86500	कोषागार, गोपालगंज
8		विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	217.87500	कोषागार, गोपालगंज
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	–	65.01390	कोषागार, सीतामढ़ी
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	13.07250	कोषागार, मुजफ्फरपुर
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	5.22900	कोषागार, भागलपुर
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	7.32060	कोषागार, दरभंगा
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	5.05470	कोषागार, सहरसा
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	4.53180	कोषागार, पूर्णियाँ
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	5.66580	कोषागार, जमुई
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	2.09160	कोषागार, आरा (भोजपुर)
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	–	0.61110	कोषागार, गया
18	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	4.70400	कोषागार, पटना
	कुल योग–		**1080.66000** (दस करोड़ अस्सी लाख छियासठ हजार रू0)	

5. निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों को उनके बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी। अग्रिम निकासी के लिए स्वीकृत राशि में से यदि पूर्व में राशि की निकासी की गयी है तो पूर्व में निकासी की गयी राशि को घटाकर ही शेष राशि की अग्रिम निकासी की जायेगी।

6. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद एवं श्रेणी के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद एवं श्रेणी अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

8. उक्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका सं०–01/विकास–यो0–229/2024 के पृष्ठ संख्या–21/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. उक्त प्रस्ताव पर संचिका सं०–01/विकास–यो0–229/2024 के पृष्ठ संख्या–20/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

MGVY 24-25 seed advance order

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–229 / 2024– 566 ई0/ce पटना, दिनांक– 08 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, बेतिया / मोतीहारी / गोपालगंज / सीतामढ़ी / भागलपुर / पूर्णियाँ / गया / दरभंगा / भोजपुर / जमुई / मुजफ्फरपुर / सहरसा / भोजपुर (आरा) / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–229 / 2024– 566 ई0/ce पटना, दिनांक– 08 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल / महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल / सचिव, बिस्मा / संबंधित के॰भी॰के॰ / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना / राज्य के कृषि विश्वविघालय / राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / SIO, NIC, Patna / वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–229 / 2024– 566 ई0/ce पटना, दिनांक– 08 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी / निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर / निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा / निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेन्सी (बसोका), मीठापुर, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / विकास–यो0–229 / 2024– 566 ई0/ce पटना, दिनांक– 08 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, कृषि के आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।